(2)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 453 / 2020–21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

रतन मुण्डा – विक्रेता

लवलीना संगा – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
03.08.21	(नीचे देखें)	

आदेश

आवेदक रतन मुण्डा पिता स्व0 मंगरा मुण्डा ग्राम–मुण्डा कुंजला, पो0–बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने लवलीना संगा पति श्री कुंवर होरो ग्राम–कुंजला, थाना–मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
कुंजला	249	30	85	0.04

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0282754890 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 506 दिनांक 01.07.21 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम डेरो मुण्डा वैगरह हैं। पंजी II के अनुसार चोड़ेया मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का 38.73 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.22¾ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 19862.00(उन्नीस हजार आठ सौ बारसठ) रू0 विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.18¾ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण रतन मुण्डा पिता स्व0 मंगरा मुण्डा को लवलीना संगा पति श्री कुंवर होरो के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं0 30 खेसरा संख्या 85 कुल रकबा 0.04¾ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 19862.00(उन्नीस हजार आठ सौ बारसठ) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.12 15:08:02 +05:30
Location: 10.93.43.4

लेखापित एवं संशोधित

3/08/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

3/08/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।